

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-8/2023/डी- 2084

दिनांक:- 14/8/23

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण की जोनल प्लान 10 की 24 मीटर सैक्टर रोड में आ रही भूमि राजस्व ग्राम सुखिया के खसरा नम्बर 19 रकबा 0.1900 हैक्टेयर में से हिस्सा 6/7 रकबा 0.1629 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 19/608 रकबा 0.1000 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.2629 हैक्टेयर के खातेदार श्री सालासर ओवरसीज प्रा0लि0 जरिये निदेशक श्री किशोर शर्मा पुत्र श्री धन्नाराम शर्मा द्वारा जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन-8 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली

उपायुक्त जोन-8
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

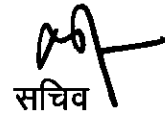
क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-8/2023/डी- 2085

दिनांक:-14/8/23

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण की जोनल प्लान 10 की 60 मीटर सैक्टर रोड में आ रही भूमि राजस्व ग्राम सुखिया के खसरा नम्बर 401/3 रकबा 0.0800 हैक्टेयर के खातेदार श्री सालासर ओवरसीज प्रा0लि0 जरिये निदेशक श्री किशोर शर्मा पुत्र श्री धन्नाराम शर्मा द्वारा जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन-8 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।



सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा/जोन-5/2023/डी-1778

दिनांक:- 14.8.23

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	ऑन लाईन आवेदन सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग गज में)	ग. नि. स. स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	—	श्रीमती सन्तोष शर्मा पत्नी श्री श्याम सुन्दर शर्मा	श्रीमती ललिता शर्मा पत्नी श्री प्रहलाद शर्मा	54	211.31	माधव नगर	रेल नगर	नियमन एवं पट्टा विलेख	अपंजीकृत ईकरारनामा
2.	—	श्री राम प्रसाद सैनी पुत्र श्री जगदीश प्रसाद सैनी	श्रीमती रुक्मणी देवी पत्नी श्री भगवान सहाय सैनी	49	400.00	माधव नगर	रेल नगर	नियमन एवं पट्टा विलेख	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयतनामा
3.	143361	श्री विनीत कुमार मान पुत्र श्री इन्द्र सिंह मान	श्रीमती मुन्नी देवी पुत्री श्री भगवान सहाय	60	302.00	न्यू पिकसिटी	धर्मपार्क	नियमन एवं पट्टा विलेख	अपंजीकृत ईकरारनामा
4.	132651	श्री सतीश चन्द गुप्ता पुत्र श्री मोती लाल गुप्ता	श्री सतीश चन्द गुप्ता पुत्र श्री मोती लाल गुप्ता	503	202.95	नव जीवन	निर्माण नगर सी	लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा	मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने बाबत
5.	—	श्री संजीव भण्डारी पुत्र श्री ज्ञान चन्द भण्डारी	श्री सचितानन्द जोशी पुत्र श्री बच्ची राम	22 ए पुराना 61 बी	183.00	माधव नगर	रेल नगर	नियमन एवं पट्टा विलेख	भूखण्ड संख्या परिवर्तित होने से
6.	—	श्रीमती संगीता सूजी पत्नी श्री सुनील सूजी	श्री संजय वर्मा पुत्र श्री भागीरथ प्रसाद वर्मा	19 पुराना 155	266.6	माधव नगर	रेल नगर	नियमन एवं पट्टा विलेख	भूखण्ड संख्या परिवर्तित होने से
7.	146536	श्रीमती पदमा नायर पत्नी श्री अनुजन कुन्ज	श्रीमती राजरानी वर्मा पत्नी श्री अजमेर	179 ए	240.00	श्री महाराजा गोपालपुरा	प्रेम नगर-I	नियमन एवं पट्टा विलेख	अपंजीकृत ईकरारनामा

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सकिल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-2563234) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {8250} : फैक्स - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

		एवं श्री अनुजन कुन्ज पुत्र स्व. श्री गोपाला पिल्लई	सिंह				स्कीम नं. 4		
8.	—	श्रीमती रेणु अग्रवाल पुत्री श्री जय प्रकाश	श्रीमती रेणु अग्रवाल पुत्री श्री जय प्रकाश	146 ए	248.33	माधव नगर	रेल नगर	नियमन एवं पट्टा विलेख	संशोधित अधिकार पत्र जारी होने से
9.	—	श्री सत्यवीर सिंह पूनिया पुत्र श्री टेक चन्द पूनिया	श्री स्टालांस पुत्र श्री एम अरुल्पन	41 ए	137.50	माधव नगर	रेल नगर	नियमन एवं पट्टा विलेख	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र
10.	—	श्री ईश्वर सिंह पुत्र श्री हिम्मत सिंह	श्री जय नारायण सिंह पुत्र श्री श्योराम पूनिया	27 नया 104	457.00	माधव नगर	रेल नगर	नियमन एवं पट्टा विलेख	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयतनामा

उपायुक्त जोन-5

प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।

उपायुक्त जोन-5

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - {+91-141-2563234} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {8250} : फैक्स - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

विषय-आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने बाबत।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री शशिकान्त मीणा पुत्र श्री बीरबल सिंह मीणा	अनिल कुमार पारीक पुत्र त्रिलोकीनाथ पारीक जरिये मु. आम रविन्द्र कुमार अग्रवाल	542	जविप्रा	निलय कुंज	लीजहोल्ड से फ्रिहोल्ड लीजडीड	अपंजीकृत इकरारनामा पर बेचान के आधार पर
2	श्री सन्तोष कुमार शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा	श्री सन्तोष कुमार शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा	61-बी	शिव शंकर हॉ.का.सो.लि.	अशोक विहार	लीजडीड	सदस्यता सूची में भिन्न नाम के संदर्भ में

उपायुक्त जयपुर जविप्रा जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जविप्रा / जोन-9 / 2023 / क्रमांक: / डी-3453
दिनांक 14/8/23

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक 2318

दिनांक: 14/08/2023

लोक सूचना

मैसर्स ग्रास फील्ड फायर कैपिटल डवलपर्स प्रा. लि. जरिये निदेशक श्री सुनील बंसल एवं श्री दीनानाथ पुत्र श्री श्यामरतन बलाई, पंजीकृत कार्यालय- के-107, किशन नगर, श्याम नगर, जयपुर (राज.) ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषिक (आवासीय से औद्योगिक) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)	90A	वर्तमान में भूमि का स्वामित्व
1.	तहसील- मौजमाबाद जिला जयपुर	ग्राम-नासनीता	547	2.53	प्रकरण संख्या 78/2013 दिनांक 18.02.2013 को 90ए आवासीय प्रयोजनार्थ	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
			551	2.53		
			549	3.79		
			567	0.07		
			569	3.56		
			548	2.53		
			559	0.75		
			560	0.76		
			561	0.76		
			562	0.76		
			563	0.01		
			564	3.32		
			566	0.20		
			कुल किता 13	कुल रकबा 21.57 हैक्ट.		

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **14-08-2023** को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

आम सूचना

निम्न आवेदको द्वारा आवासीय लीजडीड/फ्री होल्ड पट्टा जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	लीजधारक/मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया है।	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री भागीरथ सैन	श्री रेवड राम	15-बी	116.25 व.ग.	पथिक भवन गृ.नि.स.स.	स्कीम नम्बर 7 कृष्णापुरी	नाम हस्तान्तरण	मूल लीजधारक का मृत्यु प्रमाण पत्र, पंजीकृत हकत्याग पत्र आदि।
2	श्री माहेन लाल	श्री कालूराम	68 पूर्वी भाग	200.00 व.ग.	श्री महावीर स्वामी गृ. नि.स.स.	अरिहन्त वाटिका	फ्री होल्ड	आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, क्षतिपूर्ति बन्धपत्र, अपंजीकृत इकरारनामा पंजीकृत उपहार पत्र, आदि।
3	श्रीमती ललीता शर्मा	श्री कालूराम	68 पश्चिमी भाग	200.00 व.ग.	श्री महावीर स्वामी गृ. नि.स.स.	अरिहन्त वाटिका	फ्री होल्ड	आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, क्षतिपूर्ति बन्धपत्र, अपंजीकृत इकरारनामा पंजीकृत उपहार पत्र, आदि।
4	श्री कैलाश चन्द शर्मा	श्री-चन्द्र प्रकाश नवलानी	39	79.48 व.ग.	भैरव गृ.नि.स.स.	शिव विहार	फ्री होल्ड	आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, क्षतिपूर्ति बन्धपत्र, अपंजीकृत इकरारनामा आदि।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

5	श्री. दुर्गा शर्मा	श्री चन्द्र प्रकाश नवलानी	39-बी	76.00 वर्ग.	भैरव गृ.नि.स.स.	शिव विहार	फ्री होल्ड	आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, क्षतिपूर्ति बन्धपत्र, अपंजीकृत इकरारनामा आदि।
---	--------------------	---------------------------	-------	-------------	-----------------	-----------	------------	---

उक्त दस्तावेजात् के आधार पर उक्त भूखण्डों का पट्टा आवेदको के पक्ष में जारी करने में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर पीबी-एसएफ-218डी, में दर्ज करावें। 07 दिवस की अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में नियमानुसार जाँच पश्चात् पट्टा/लीजडीड जारी कर दिया जावेगा।

उपायुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक जविप्रा/उपा.7/2023/डी-1606
दिनांक :- 14/8/2023



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी-1607

दिनांक 14/8/2023

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/ अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री मौका राम	श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी श्री रघुवीर सिंह	148	266.66 वर्ग.	नवजीवन	विद्युत नगर-सी	नाम हस्तान्तरण/ लीजहोल्ड से फ्री होल्ड पट्टा	हक त्याग पत्र की प्रति एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर


उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी,
जविप्रा, जयपुर।
जोन-7, जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त, जोन- 7
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2023/डी- 2880

दिनांक:- 14/8/23

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री अशोक बाबेल	सी-325	जविप्रा	मालवीय नगर	नामहस्तान्तरण पत्र	मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र

1
11/10/23
उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।



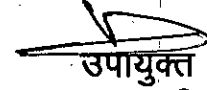
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

7/11/81/23

—:सूचना:—

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	मुखण्ड संख्या	मुखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	रतनी देवी	मेघा शर्मा	A 5	138.88	हसनपुरा-ए गृ. नि.स.स.लि.	विनायक सरोवर	लीजडीड	अपजीकृत ईकरारनामा, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
2	ननची देवी	स्वयं	01	204.00	हसनपुरा-ए गृ. नि.स.स.लि.	विनायक सरोवर	लीजडीड	आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
3	नासिर खान	स्वयं	B 30	111.11	हसनपुरा-ए गृ. नि.स.स.लि.	विनायक सरोवर	लीजडीड	आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
4	मेघाराम एवं राज देवी	स्वयं	54 B	149.90	भारत भवन. नि. स.स.लि.	शिव चौधरी नगर	लीजडीड	आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
5	चन्दू लाल सेनी	शान्ती शर्मा	B 90 & B 90 A	150.00	हसनपुरा-ए गृ. नि.स.स.लि.	विनायक सरोवर	लीजडीड	पंजीकृत विक्रय पत्र, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।



उपायुक्त
जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

जनसम्पर्क अधिकारी,
जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक / ज.वि.प्रा. / उपा. / जोन-पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय) / 2023 / डी-1771
दिनांक 04.08.2023

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय) : फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)

N.P.-V.N.



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

—:सूचना:—

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	मुखण्ड संख्या	मुखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	रमेश यादव	रमेश	A 42	138.88	हसनपुरा-ए गृ. नि.स.स.लि.	विनायक सरोवर	लीजडीड	आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
2	नेम सिंह	बाबू लाल सैनी	145	138.88	हथरोई गढी गृ. नि.स.स.लि.	कृष्णा नगर	लीजडीड	आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।


उपायुक्त 8/8/23

जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

जनसम्पर्क अधिकारी,
जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./जोन-पी.आर.एन.(दक्षिण-द्वितीय)/2023/डी- 1789
दिनांक 8-8-2023

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}; फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

N.P.-V.N.



आमसूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हसनपुरा-ए' गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना विनायक सरोवर के भूखण्ड संख्या ए-191-बी क्षेत्रफल 84.17 वर्गगज का भूखण्डधारी द्वारा जोन में पट्टा विलेख जारी करवाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त भूखण्ड ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 99 से प्रभावित है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हो चुकी है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.10.2014 के अनुसार उक्त विज्ञप्ति जारी की जा रही है। अतः उक्त भूखण्ड का पट्टा विलेख जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/हितधारी/खातेदार को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में इस कार्यालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करे। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही करते हुए भूखण्डधारी को पट्टा विलेख जारी कर दिया जायेगा।

उपायुक्त
जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

जनसम्पर्क अधिकारी,
जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ. नोटक्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./जोन-पी.आर.एन.(दक्षिण-द्वितीय)/2023/डी- 1791
दिनांक10.10.2023



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

—:सूचना:—

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	मुखण्ड संख्या	मुखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	अशिका चौधरी	कैलाश चन्द	32	233.33	रामनगर गृ.नि.स.स.लि.	शिव वाटिका	लीजडीड	अपंजीकृत ईकरनामा, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
2	दिपक कुमार टेलर	नलीन कुमार	09	200.00	शान्ती गृ.नि.स.स.लि.	किरण विहार	लीजडीड	आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
3	दोपती देवी	सुनील कुमार	B 128	100.00	हसनपुरा-ए गृ. नि.स.स.लि.	विनायक सरोवर	लीजडीड	अपंजीकृत ईकरनामा, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
4	राम सिंह शेखावत	संध्याराम	23 A	49.00	बरसी सीमारामपुरा-बी गृ.नि.स.स.लि.	भवानी नगर	लीजडीड	अपंजीकृत ईकरनामा, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान की प्रति लिपी इत्यादि।
5	अशोक कुमार प्रजापति	अशोक कुमार शर्मा	A 74	138.88	हसनपुरा-ए गृ. नि.स.स.लि.	विनायक सरोवर	लीजडीड	पंजीकृत विक्रय पत्र, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
6	मूली देवी	स्वयं	A 154	215.83	हसनपुरा-ए गृ. नि.स.स.लि.	विनायक सरोवर	लीजडीड	आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
7	चांदनी देवी	स्वयं	39	202.20	हसनपुरा-ए गृ. नि.स.स.लि.	विनायक सरोवर	लीजडीड	आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
8	हनुमान प्रसाद शर्मा	स्वयं	A 162	200.00	हसनपुरा-ए गृ. नि.स.स.लि.	विनायक सरोवर	लीजडीड	आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
9	मन्जु बाला	अजयपाल	A 186	237.50	हसनपुरा-ए गृ. नि.स.स.लि.	विनायक सरोवर	लीजडीड	अपंजीकृत ईकरनामा, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
10	पल्लवी चौधरी	संजय गोदारा	A 94	500.00	हसनपुरा-ए गृ. नि.स.स.लि.	विनायक सरोवर	लीजडीड	अपंजीकृत ईकरनामा, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।

उपायुक्त
जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

जनसम्पर्क अधिकारी,
जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक / ज.वि.प्रा. / उपा. / जोन-पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय) / 2023 / डी-1803
दिनांक 11-8-2023

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

N.P.-V.N.



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

—:सूचना:—

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	मुखण्ड संख्या	मुखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	पवन कुमार	रामचन्द्र सोडानी एवं मनफूल मेहरा	44 & 44A	101.10	शंकर भवन गृ. नि.स.स.लि.	राधा स्वामी नगर	लीजडीड	अपंजीकृत ईकरनामा, पंजीकृत विक्रय पत्र, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
2	पवन शर्मा	ज्याना देवी	A 27	143.33	हसनपुरा-ए गृ. नि.स.स.लि.	विनायक सरोवर	लीजडीड	पंजीकृत विक्रय पत्र, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
3	मनीष शर्मा	स्वयं	A 14	138.88	हसनपुरा-ए गृ. नि.स.स.लि.	विनायक सरोवर	लीजडीड	आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
4	मुन्नी देवी	स्वयं	A 92	528.88	हसनपुरा-ए गृ. नि.स.स.लि.	विनायक सरोवर	लीजडीड	आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
5	गंगाराम	स्वयं	A 90	501.33	हसनपुरा-ए गृ. नि.स.स.लि.	विनायक सरोवर	लीजडीड	आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
6	केशन्ती देवी	शंकर लाल शर्मा	B 143	65.55	हसनपुरा-ए गृ. नि.स.स.लि.	विनायक सरोवर	लीजडीड	पंजीकृत विक्रय पत्र, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
7	शक्ति सिंह शेखावत	स्वयं	A 13	138.88	हसनपुरा-ए गृ. नि.स.स.लि.	विनायक सरोवर	लीजडीड	आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
8	अरुण खरबास	नानूशम	09	210.26	कीर्ति नगर कॉ. हा.सो.लि.	बाबू नगर	लीजडीड	अपंजीकृत ईकरनामा, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
9	पूनम यादव	पुष्पा पाटिल	60.A	109.54	ओम शिव गृ.नि. स.स.लि.	हनुमान विहार	लीजडीड	मृत्यु प्रमाण पत्र, अपंजीकृत वसीयतनामा, लीजडीड, साईट प्लान इत्यादि।

उपायुक्त
जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

जनसम्पर्क अधिकारी,
जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./जोन-पी.आर.एन.(दक्षिण-द्वितीय)/2023/डी- 1799
दिनांक 10.8.2023

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय): ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

N.P.-V.N.

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।
क्रमांक:-जविप्रा/उपा./पीआरएन-उत्तर(द्वितीय)/2023/डी-

दिनांक:-

10/8/23

-:सार्वजनिक सूचना:-

निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू-आवंटन हेतु पृथ्वीराज नगर (उत्तर-द्वितीय), जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किये हैं। जो लीजडीड/प्रतिस्थापन हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये हैं:-

क्र.सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	श्याम सुन्दर शर्मा/रूपनारायण शर्मा (भैरव गृ.नि.स.स. लि० की योजना-मां करणी नगर-ई.)	23 एवं 24	555.2
2	मूल सिंह राठौड़/अगर सिंह राठौड़ (मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति लि० की योजना-लोहिया कॉलोनी)	16	203.33
3	लाली देवी/लादूराम (महाराणा प्रताप गृ.नि.स.स.लि. की योजना-श्री करणी सरोवर)	32	100
4	इन्द्रदेव हाडा/जगदीश सिंह, (गोपालपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति लि० की योजना-सूरज नगर)	97ए	186.66
5	गिरधर गोपाल शर्मा/केवल चन्द अग्रवाल (श्री लक्ष्मी गृ.नि.स.स.लि. की योजना-गंगा सागर)	148	223.61
6	महिपाल सिंह/राजेन्द्र सिंह, (सिन्धु नगर गृ.नि.स.स.लि. की योजना-मोती विहार)	105	460
7	संतोष कवर/ राजेन्द्र सिंह (सिन्धु नगर गृ.नि.स.स.लि. की योजना-मोती विहार)	104	519
8	संतोष कवर/ राजेन्द्र सिंह। (सिन्धु नगर गृ.नि.स.स.लि. की योजना-मोती विहार)	103	577.70
9	आलोक कुमार/सावर मल अग्रवाल (श्री लक्ष्मी गृ.नि.स.स.लि. की योजना-गंगा सागर)	13 व 14	150, 150

यदि उक्त भूखण्डों के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी को आपत्ति हो तो 07 दिवस की अवधि में कार्यालय को आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों की लीजडीड/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-II
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 8 फॉन्ट साइज में प्रकाशित करवाकर विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस पश्चात् मूल प्रति कार्यालय में भिजवाने का श्रम करें।
- उक्त पत्रावलीयों में नगरीय विकास के आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 14.03.2022 में विज्ञप्ति कार्यालय द्वारा प्रकाशन की कार्यवाही करवाया जाना प्रस्तावित है। सूचनाार्थ

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-II
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./पीआरएन-उत्तर(प्रथम)/2023/डी-791

दिनांक: 7/8/23

—: आम सूचना :-

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (व.ग.)	गृ.नि.स.स.	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्रीमती रामप्रति देवी पत्नी श्री शिवजीराम	श्रीमती रामप्रति देवी पत्नी श्री शिवजीराम	146-ए	82.83	महाराणा प्रताप	श्री बालाजीधाम	फी-होल्ड पट्टे हेतु	सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र के आधार पर।

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
पीआरएन-उत्तर (प्रथम)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि :- जनसम्पर्क अधिकारी जयपुर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है की राज्य सरकार के आदेशों के क्रम में विज्ञापित का प्रकाशन करवाया जाना सुनिश्चित करें।

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
पीआरएन-उत्तर (प्रथम)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./पीआरएन-उत्तर(प्रथम)/2023/डी- 795-

दिनांक:- 21/8/23

:- आम सूचना :-

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (व.ग.)	गृ.नि.स.स.	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री वासुदेव सिंह पुत्र श्री मूल सिंह एवं श्री आदित्य सिंह	भू.सं. 3-ए. सुरज कंवर पत्नी श्री भगवती सिंह, दु.सं. एस-12 श्रीमती सरजू देवी मीणा पत्नी श्री जगदीश मीणा, एस-13 श्रीमती सुशीला कविया पत्नी श्री लूगीदान सिंह जी, एस-14 श्रीमती मंजूरन पत्नी श्री भवर खां	3-ए. दु.सं. एस-12, 13, 14	452.60	श्री जनता को-ऑपरेटिव सोसायटी	शिव.विहार	फ्री-होल्ड.पट्टे. हेतु	सोसायटी द्वारा जारी मूल-आवंटन-पत्र, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, उपहार पत्र एवं श्रृंखलाबद्ध दस्तावेजों के आधार पर।

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
पीआरएन-उत्तर (प्रथम)
जयपुर विकास प्राधिकरण

प्रतिलिपि :- जनसम्पर्क अधिकारी जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है की राज्य सरकार के आदेशों के क्रम में विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाया जाना सुनिश्चित करें।

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
पीआरएन-उत्तर (प्रथम)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2023/डी- 1805

दिनांक 11-8-23

आम सूचना

निम्न-आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना /जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री राजकुमार पारीक पुत्र श्री सीताराम पारीक	श्रीमती संगीता पाटनी पत्नी श्री सुरेश चन्द पाटनी	2/324	180.00 व. मी.	जविप्रा	विद्याधर नगर	नाम हस्तान्तरण / फ्री होल्ड पट्टा	मृत्यु प्रमाण-पत्र, अपंजीकृत वसीतयनामा इत्यादि
2	श्री सतीश कुमार जोशी पुत्र स्व. श्री बुदाराम जोशी	श्रीमती नीतू देवी पत्नी श्री बिरजू एवं श्री बिरजू मानसिंह	72	48.4 व.मी.	जविप्रा	किशनबारा पुर्नवास योजना	नाम हस्तान्तरण / फ्री होल्ड पट्टा	अपंजीकृत इकरारनामा बिचौति इत्यादि

प्रतिलिपि : जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{0141-2574768} (O) ईपीबीएक्स-0141-2569696 Ext. 8820 : फ़ैक्स +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-14/2023/डी-2064

दिनांक 11.8.23

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारियों द्वारा दरतावेज/आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड का नागहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने हेतु आवेदन किया गया है:-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	नाम/पता	समिति का नाम/निजी खातेदारी/जविप्रा	योजना का नाम	विवरण
1.	14/OF/S/237	श्री मोहनलाल शर्मा, जयनारायण शर्मा, राजूलाल शर्मा, लादूराम शर्मा, बाबूलाल शर्मा पुत्रान श्री मोतीलाल शर्मा	जविप्रा	रिंग रोड योजना	नागहस्तान्तरण/लीजडीड हेतु
2.	A-125	श्रीमती गायत्री शर्मा पत्नी श्री रूपचन्द शर्मा	जविप्रा	बक्सवाला	नागहस्तान्तरण एवं लीजडीड हेतु
3.	A-126	श्रीमती गायत्री शर्मा पत्नी श्री रूपचन्द शर्मा	जविप्रा	बक्सवाला	नागहस्तान्तरण एवं लीजडीड हेतु
4.	125	श्री राजेन्द्र भीणा पुत्र श्री रामकरण भीणा	बाबा आर.एन. गौड़ गृ.नि.स.स.लि.	न्यू चन्दलाई नगर	फ्री होल्ड पट्टा हेतु
5.	A-154	श्री कुमार पुत्र श्री नन्दलाल	जविप्रा	बक्सवाला	नागहस्तान्तरण एवं लीजडीड हेतु
6.	107	श्री अग्निषेक स्वामी पुत्र श्री अशोक स्वामी	हरानपुरा ए गृ.नि. स.स.लि.	श्री कल्याण नगर	लीजडीड हेतु

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नागहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो गद्य साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय संग्रह में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का नागहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-14,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त जोन-14,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
आ. 14, जविप्रा, जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दुरभाष : Direct Line-0141-2576296(O), EPBX-0141-2569696, Ext.: 8380, Fax-0141-2574555, e-mail:

dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-6/23/डी-2521

दिनांक 10.8.23

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री हनुमान सहाय शर्मा पुत्र स्व. श्री गोविन्दराम शर्मा द्वारा खातेदारान स्व. श्री भगवान सहाय, लादूराम, कजोड़ पुत्रान स्व. श्री ईश्वर जाति कुम्हार (मृतको) द्वारा इनके पक्ष में की गई अपंजीकृत वसीयत के आधार पर जविप्रा की योजना लोहामण्डी के खसरा नम्बर 692/1 रकबा 0.30 हैक्ट. ख.न. 689 रकबा 0.02 हैक्ट. (हिस्सा 1/2) कुल किता 2 कुल रकबा 0.32 हैक्ट मे से समर्पित रकबा 0.31 हैक्ट भूमि को समर्पित करते हुये विकसित भूमि के आवंटन पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र के साथ समर्पणनामा, क्षतिपूर्ति बन्धपत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, अपंजीकृत वसीयत प्रस्तुत की गई है।

इस बाबत किसी भी व्यक्ति/संस्था/कम्पनी/सह खातेदार व अन्य किसी को कोई आपत्ति हो, तो सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस की अवधि में अपने स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज सहित आपत्ति उपर्युक्त जोन-06, जेडीए, जयपुर के कार्यालय में पेश कर सकते हैं। नियत अवधि तक कोई आपत्ति/आक्षेप मय दस्तावेज पेश नहीं किये जाने पर नियमानुसार आवेदक के पक्ष में भूमि के आरक्षण/आवंटन की कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी।

54

उपायुक्त जोन-6

जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. जनसम्पर्क अधिकारी जविप्रा, जयपुर को सूचित किया जाता है कि जविप्रा की योजना लोहामण्डी के खसरा नम्बर 692/1 रकबा 0.30 हैक्ट. ख.न. 689 रकबा 0.02 हैक्ट. (हिस्सा 1/2) कुल किता 2 कुल रकबा 0.32 हैक्ट मे से समर्पित रकबा 0.31 हैक्ट भूमि को समर्पित करते हुये विकसित भूमि के आवंटन पत्र जारी करने हेतु उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में करवाकर समाचार पत्र की मूल प्रति जोन कार्यालय में प्रस्तुत करे।

उपायुक्त जोन-6
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर
प्रारूप 13
[नियम 13(2) देखिए]

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा
90-क (8) के अन्तर्गत

संख्या 1596

दिनांक 10/8/2023

लोकसूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्नवर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 31/12/2021 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्तभूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है, कि आप की सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण मित्र गृ.नि.स.स.लि. की योजना पॉल एनक्लेव के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8)के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपटित धारा 90ए (5) एवं राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्नवर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपटित धारा 90ए(5) एवं सपटित राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर)	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
मीनावाला तह. जयपुर	97	0.5059	1. नैन्या पुत्र चँदा हिस्सा- 1/3 2. भगवाना पुत्र चँदा हिस्सा- 1/3 3. लादू पुत्र चँदा हिस्सा- 1/3 सर्वजाति- मीना सा देह खातेदार

प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गतनगरीय विकास, आवासन एवंस्वायत्त शासनविभाग, राजस्थानसरकार के आदेशक्रमांक प17(1)नवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुरदिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखनेवाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा नं. पी बी-एसएफ-218 डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 10/8/2023 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

— SD —
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सूचना एवंजन सम्पर्क अधिकारी, ज.वि.प्रा., जयपुर को भेज कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवा कर अधोहस्ताक्षर कर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावे।
2. तहसीलदार जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-07 जविप्रा, जयपुर
उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन-7, जविप्रा, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू ओ. नोट

विषय:- प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के तहत नियमन शिविर के सम्बन्ध में।

आम सूचना

निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (व.ग.)	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	हनुमान सहाय सैनी पुत्र श्री रामनारायण सैनी	हनुमान सहाय सैनी पुत्र श्री रामनारायण सैनी	61	80.00	प्रागपुरा गृ.नि.स.स	श्री वैष्णव विहार	लीजडीड जारी करने हेतु	समिति द्वारा जारी सदस्यता सूची में नाम अंकित नहीं होने के सम्बन्ध में।
2.	हनुमान सहाय सैनी पुत्र श्री रामनारायण सैनी	हनुमान सहाय सैनी पुत्र श्री रामनारायण सैनी	62	80.00	प्रागपुरा गृ.नि.स.स	श्री वैष्णव विहार	लीजडीड जारी करने हेतु	समिति द्वारा जारी सदस्यता सूची में नाम अंकित नहीं होने के सम्बन्ध में।
3.	रामबाबू सैनी पुत्र स्व.श्री बद्री लाल सैनी	खातेदार जीवन, बद्री पुत्र श्री चौथमल एवं गोपाल पुत्र श्री गोदू माली		809.46	निजी खातेदारी खसरा नम्बर-45	स्कीम 15सी रामनगर	लीजडीड जारी करने हेतु	उपविभाजित भूखण्ड का पुर्नगठन करने के सम्बन्ध में।
4.	कृष्णा शर्मा पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	राकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री नारायण लाल शर्मा	11	74.00	विजयपुरा गृ.नि.स.स	सिन्धु नगर-द्वितीय	लीजडीड जारी करने हेतु	अपंजीकृत दस्तावेजात् के सम्बन्ध में।

उपायुक्त जोन-6
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावे।

यू.ओ.नोट क्रमांक जविप्रा/उपा.जोन-06/23/डी-

2517

दिनांक:

10/8/23

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-2570256.) : ईपीबीएक्स-0141-7118...एक्सटेंशन:(7118):

ई-मेल : (rajasthan.gov.in)



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-6/2023/डी-

2518

दिनांक

10.8.23

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शिल्पाचार्य गृ.नि.स.स. की योजना स्कीम नम्बर 14 गंगा जमना कालोनी के अनुमोदित मानचित्र में भूखण्ड संख्या बी-71, 70, 69, 72, 72-ए सृजित/अनुमोदित नहीं है, जिनका योजना मानचित्र में सृजन किया जाना है।

अतः भूखण्ड संख्या बी-71, 70, 69, 72, 72-ए का सृजन किये जाने के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/ संस्था/ कम्पनी/सह खातेदार व अन्य किसी को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करे, अन्यथा भूखण्ड संख्या बी-71, 70, 69, 72, 72-ए अनुमोदित मानचित्र में सृजन/अनुमोदन कर उक्त भूखण्डों की लीजडीड जारी करने की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। मयाद पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

~~उपायुक्त~~ ~~जोन-6~~
~~उपायुक्त~~ ~~जोन-6~~
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन दैनिक भास्कर/राजस्थान पत्रिका में करवाकर समाचार पत्र की प्रति जोन में उपलब्ध कराने का श्रम करावे।

~~उपायुक्त~~ ~~जोन-6~~
~~जयपुर विकास प्राधिकरण~~
~~जयपुर~~

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय} फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:- LU2012/JDA/2023-24/102763 **10-2196**

दिनांक:- **10/8/23**

लोक सूचना

श्री RAJESH CHOUDHARY पुत्र श्री PURANMAL जाति JAT निवासी C-74, VIVEKANAND COLONY, NAYA KHEDA, AMBABARI, JAIPUR ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. स.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा न.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	उदयपुरिया,	RAJESH CHOUDHARY	420/189	200	0.0200
2	आमेर (जयपुर)		431/188	1313	0.1313
			किता-02	1513	0.1513

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **10/8/23** को जारी की गयी।

501
प्राधिकृत अधिकारी जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि:-सहायक निदेशक (जनसम्पर्क) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त लोक सूचना का दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन आपके स्तर से करवाया जाना है। अतः आप उक्त लोक सूचना के प्रकाशन रोस्टर अनुसार 08 (आठ) फॉट साईज में दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर, समाचार पत्रों की दो-दो मूल प्रतियाँ इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

502
प्राधिकृत अधिकारी जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/जोन-12/2023/डी- 8491

दिनांक : 11-8-23

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)
जविप्रा, जयपुर।

विषय :- 90ए की लोक सूचना का प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में 90ए की लोक सूचना संलग्न प्रारूप अनुसार 8 फोन्ट साईट में राजस्व स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।

11/08/23

उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : LU2012/JDA/2023-24/102757

दिनांक : 11.08.2023

लोकसूचना

श्री लालचन्द शर्मा पुत्र श्री भूराराम शर्मा एवं श्रीमती गुलाब देवी पत्नी श्री लालचन्द शर्मा जाति बाहमण, निवासी-
वार्ड नम्बर-1, कालुंडा की ढाणी, बड पिपली बस स्टेण्ड, नीडड हरमाडा, जयपुर-302013

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का पर्यटन इकाई (होटल) एकल पट्टा प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्ट.)
1.	नींदड, आमेर (जयपुर)	गुलाबदेवी पत्नी श्री लालचन्द हिस्सा पूर्ण	3614 / 785	2142.00	0.2142
		लालचन्द पुत्र भूराराम हिस्सा पूर्ण	3615 / 785	1221.00	0.1221
			781	4200.00	0.4200
				कुल	0.7563

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाश के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 11.08.2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-11/2023/डी-230/

दिनांक/01/8/23

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 24 मीटर चौड़ी सड़क सैक्टर रोड में आ रही भूमि राजस्व ग्राम पीपला भरतसिंह तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 1266/1253 रकबा 0.1820 हैक्ट. (रामधन चौधरी हि. 5/6 एवं कमलेश चौधरी हि. 1/6) ख.नं. 1267/1169 रकबा 0.0840 हैक्ट (रामधन चौधरी हि. 5/6 एवं कमलेश चौधरी हि. 1/6) किता 2 रकबा 0.2660 हैक्ट एवं ख.नं. 268 रकबा 0.06 हैक्ट (कमलेश चौधरी सम्पूर्ण कुल किता 3 कुल रकबा 0.3260 हैक्ट के खातेदार रामधन चौधरी पुत्र श्री भैरूराम चौधरी हि. 5/6 निवासी नौरा वालों की ढाणी, जाट कॉलोनी, भांकरोटा एवं श्री कमलेश चौधरी पुत्र श्री सूरज करण चौधरी निवासी-27, मंगू बाबा की ढाणी, ग्राम नरोत्तमपुरा, भांकरोटा, जयपुर हि. 1/6 द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया उपायुक्त जोन-11 के कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष- (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय) फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय-पृथ्वीराज नगर-उत्तर(प्रथम), चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर, जयपुर

क्रमांक: जविप्रा/उपा./पीआरएन-उत्तर(प्रथम)/2023/डी-

797 दिनांक 10/8/23

सार्वजनिक- सूचना

मोती भवन गृह निर्माण सहकारी समिति योजना कैलाश विहार ग्राम झोटवाडा के जविप्रा द्वारा अनुमोदित योजना मानचित्र में भूखण्ड संख्या 22, 27, 56, 57, 72 के उत्तर दिशा में की तरफ अनुमोदित योजना में स्वीकृत 30 फीट सड़क को विलोपित कर मौके अनुसार सड़क के स्थान पर भूखण्ड सृजित कर आवंटन तथा योजना सीमा में संशोधन तथा योजना मानचित्र में संशोधन के किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था एवं अन्य को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत कर देंगे। बाद मियाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं उक्त संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

-861-

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर(प्रथम)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को नियमानुसार दैनिक समाचार-पत्र में आम सूचना प्रकाशन हेतु प्रेषित है।

4

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर(प्रथम)
उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
पीआरएन-उत्तर (प्रथम)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर